



राजकीय इंजीनियरिंग कालेज

कटरिया याकूबपुर, अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) – 224122 भारत

Rajkiya Engineering College

Katariya Yakoobpur, Ambedkar Nagar, (U.P.) - 224122

AICTE APPROVED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE

VIDE APPROVAL LETTER No. F. No. Northern/1-44638238444 /2025/EOA DATED: 09-Apr-2025

Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Lucknow, U.P., India



Cell Phone: +91-9451412201

Website: www.recabn.ac.in

E-mail: director@recabn.ac.in

पत्रांक: 8989/रा०इ०का०/2025

दिनांक: 26/09/2025

संस्थान में कैटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण नोटिस

संस्थान में कैटीन संचालन लिए दिनांक: 27/09/2025 से निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट (www.recabn.ac.in) पर भी उपलब्ध है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक: 17/10/2025 अपराह्न 05:00 बजे तक है। संस्थान के कुलसचिव कार्यालय में समस्त निविदायें दिनांक: 18/10/2025 अपराह्न 03:00 बजे तक खोली जायेंगी। समस्त निविदा दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकरनगर, कटरिया याकूबपुर, अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) – 224122 के पते पर प्रेषित किया जाना है।

(प्रो० धनन्जय सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यवाहक कुलसचिव, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, रा०इ०का० अम्बेडकर नगर।
3. समिति अध्यक्ष।
4. प्रभारी, वेबसाइट होस्टिंग और प्रबंधन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
5. नोटिस बोर्ड।
6. सार्वजनिक स्थान।
7. गार्ड फाइल।

(प्रो० धनन्जय सिंह)
निदेशक

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बेडकर नगर

कटरिया याकूबपुर जनपद अम्बेडकर नगर - 224122

26

निविदा-प्रपत्र

- 1- निविदाकर्ता एवं संस्था का नाम एवं पता
-
- मोबाइल नं०.....

नवीनतम फोटोग्राफ

- 2- निविदा प्रतिभाग शुल्क /EMD के लिए डी0डी0 नं०दिनांक
धनराशि रू० 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का डी0डी0 राजकीय इंजीनियरिंग, कॉलेज, अम्बेडकर
के नाम से देय होगा।
- 3- निविदादाता द्वारा निविदित प्रति माह का किराया रू०.....
.....(शब्दों में) (क्रमांक 1 से 3 तक की सूचना न भरने पर निविदा अवैध मानते हुए निरस्त कर दी
जायेगी।)
- 4- न्यूनतम प्रति माह किराया रू० 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र)।

नगर

आवश्यक संलग्नक -

- | | |
|--|------------|
| 1- निविदाकर्ता का पैन कार्ड | हाँ / नहीं |
| 2- निविदाकर्ता का आधार कार्ड | हाँ / नहीं |
| 3- फर्म का पैन कार्ड | हाँ / नहीं |
| 4- फर्म का जी0एस0टी0नं० | हाँ / नहीं |
| 5- कैंन्टीन चलाने के लिए फूड लाईसेन्स | हाँ / नहीं |
| 6- निविदा शुल्क का डी0डी0- रू० 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) | हाँ / नहीं |
| 7- बिन्दु संख्या 4 व 12 के सापेक्ष नोटरी अधिवक्ता से प्रमाणित शपथ पत्र। | हाँ / नहीं |
| 8- मा० जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी 01 (एक) लाख का हैसियत प्रमाण पत्र। | हाँ / नहीं |
| 9- मा० जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। | हाँ / नहीं |

नोट :- वॉछित समस्त प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र टेण्डर फॉर्म फीस रू 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)
वापिस नहीं की जायेगी।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

निविदा शर्तें

- 1- संस्थान में स्थित कैटीन को चलाने का आबंटन प्रति माह के किराये पर होगा। जिसका भी कुल किराया अधिकतम होगा उसी को संस्थान में कैटीन का आबंटन अग्रिम 11 माह के लिए किया जायेगा। (जी0एस0टी0 अतिरिक्त यदि लागू हो)
- 2- संस्थान कैटीन निविदा आबंटन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 01 माह का किराया धरोहर राशि के रूप में संस्थान में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त 01 माह का अग्रिम किराया भी आबंटन के समय देना होगा। अन्यथा की स्थिति में क्रमशः द्वितीय, तृतीय निविदादाता को उपरोक्तानुसार समय प्रदान किया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 3- फर्म का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर, फूड लाइसेन्स एवं ई0 एस0 आई0 प्रमाण पत्र, यदि लागू हो की फोटो कापी संलग्न कराना आवश्यक है।
- 4- निविदाकर्ता पर कोई अदालती कार्यवाही न हो, पार्टी किसी बैंक द्वारा काली सूची में इंगित न हो व दिवालिया घोषित न की गयी हो।
- 5- कैटीन के अन्दर व आसपास की साफ सफाई एवं रंगाई-पुताई/समस्त मेन्टीनेन्स व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी निर्माण कार्य ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। उक्त कार्य हेतु संस्थान से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 6- संस्थान प्रशासन किसी भी समय पर कैटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता आदि की जाँच कर सकता है। संस्थान प्रशासन की प्रतिकूल आख्या के आधार पर कभी भी कैटीन ठेका निरस्त किया जा सकता है।
- 7- कैटीन में अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों व छात्र/छात्राओं हेतु अलग-अलग बैठने के लिए फर्नीचर आदि की अच्छी व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी।
- 8- कैटीन ठेकेदार द्वारा विक्रय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की रेट लिस्ट संस्थान प्रशासन से अनुमोदित करायी जानी आवश्यक है।
- 9- कैटीन परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ रखना अथवा प्रयोग करना या करने देना पूर्णतः निन्दि होगा। ऐसा पाये जाने पर कैटीन का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए समस्त निविदा राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10- निविदाकर्ता जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अपना 01 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 11- कैटीन में जो सामग्री विक्रय हेतु रखी जायेगी उसकी एक मूल्य सहित सूची कैटीन के अन्दर तथा एक सूची कैटीन के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।
- 12- कैटीन ठेकेदार किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हो और न ही किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हो इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 13- कैटीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड की प्रति एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अनुशासन में कार्य करेंगे।
- 14- कैटीन में किसी भी अराजक/अवाछनीय व्यक्तियों को बैठने देना प्रतिबन्धित होगा। ऐसे लोगों को पाये जाने पर ठेका आबंटन निरस्त किया जा सकता है।
- 15- संस्थान की कैटीन संचालन का अनुबन्ध संस्थान प्रशासन एवं ठेकेदार के मध्य रू0 100/- के स्टॉम्प पेपर पर करना होगा। जो मात्र 11 माह के लिए ही मान्य होगा। भविष्य में सामानों की गुणवत्ता एवं कैटीन संचालन के कार्य व्यवहार से संतुष्ट होने पर उक्त अवधि आगामी 11 माह के लिए पुरानी निविदा राशि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर संस्थान के कोष में जमा करने पर बढ़ायी जा सकती है। उक्त अधिकार संस्थान प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 16- कैटीन ठेकेदार को उसके द्वारा उपयोग की गयी विद्युत राशि का भुगतान मीटर के आधार पर संस्थान को प्रतिमाह जमा करना अनिवार्य होगा।
- 17- किसी भी विवाद की स्थिति में "निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बेडकर नगर" द्वारा प्रकरण में दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 18- संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के अतिरिक्त भी कैटीन का उपयोग सक्षम अधिकारी के निर्देश पर किया जा सकता है।
- 19- कैटीन हेतु निविदा प्रपत्र डालना आवश्यक है।
- 20- निविदा को निरस्त करने का अधिकार "निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बेडकर नगर" के पास सुरक्षित होगा।
- 21- किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला अम्बेडकर नगर में ही होगा।
- 22- उपरोक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में जारी समय-समय पर शासनादेश/निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 23- निविदाकर्ता को निविदा आमंत्रित किये जाने की तिथि से 21 दिन के अन्दर निविदाकर्ता को स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, 224122 को प्रेषित किया जाना होगा और निविदा प्रपत्र को सील बंद लिफाफे पर "कैटीन संचालन हेतु निविदा" लिखा जाना अनिवार्य होगा।

..... (निविदाकर्ता/फर्म का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे/मेरी फर्म को उपरोक्त बिन्दु सं0 1-23 में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं, जिनका अनुपालन मेरे/मेरे फर्म द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)